THE UTTAR PRADESH LAWS (EXPIRATION) ACT, 1974

(U. P. Act No.31 of 1974)

—–

ARRANGEMENT OF SECTIONS

--

Sections :

1- Short title and commencement

2- Effect of continuing Act

3- Repeal of U. P. Act XXVIII of 1950

THE UTTAR PRADESH LAWS (EXPIRATION) ACT, 1974[1]

[U. P. Act No. 31 of 1974]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on June 12, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 13, 1974.

Received the assent of the President on October 23, 1974 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated October 29, 1974.]

AN

ACT

to remedy the inconvenience which had arisen and may arise from the expiration of Acts before the passing of Acts to continue the same with or without any modifications.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Laws (Expiration) Act, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 1, 1972.

Effect of continuing Act

2. Where any Bill (hereinafter referred to as the continuing Bill) is introduced in any session of the State Legislature for the continuance of any Act which would expire in such session or thereafter (hereinafter referred to as the expiring Act) and such Act expires before the continuing Bill after receiving the assent of President or Governor as may be necessary, has been published in the Gazette as an Act (hereinafter referred to as the continuing Act), then except as otherwise specially provided in the continuing Act, —

(a) where the expiring Act is intended to be continued without any modifications, the continuing Act shall be deemed and taken to have effect from the date of expiration of the first mentioned Act (hereinafter referred to as the said date), as fully and effectually to all intents and purposes as if the continuing Act had actually been published in the Gazette before the said date, and

(b) where the expiring Act is intended to be continued with any modification, the continuing Act shall be deemed to have continued the first mentioned Act, without any such modication, from the said date till immediately before the commencement of the continuing Act as fully and effectually to all intents and purposes as if the continuing Act had actually been published in the Gazette before the said date and had not provided for such modifications ;

---

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 24, 1974.

(1)

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1974[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1974]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 12 जून, 1974 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अगस्त, 1974 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 23 अक्टूबर, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 अक्टूबर, 1974 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

अधिनियमों को बिना किसी परिष्कार के या परिष्कार सहित जारी रखने के लिए अधिनियम पारित होने से पहले ऐसे अधिनियमों की समाप्ति से उत्पन्न हुई और हो सकने वाली असुविधा को दूर करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जात है : ––

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) यह 1 सितम्बर, 1972 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

जरी रखने वाले अधिनियम का प्रभाव

2– यदि राज्य विधान मण्डल के किसी सत्र में किसी ऐसे अधिनियम को जो उस सत्र मे अथवा उसके पश्चात् समाप्त होने को हो (जिसे आगे समाप्त होने वाला अधिनियम कहा गया है), जारी रखने के लिये कोई विधेयक (जिसे आगे जारी रखने वाला विधेयक कहा गया है), पुरःस्थापित किया जाय और ऐसा अधिनियम जारी रखने वाले विधेयक पर, यथा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त गजट में अधिनियम के रूप में (जिसे आगे जारी रखने वाला अधिनियम कहा गया है), प्रकाशित किये जाने के पूर्व समाप्त हो जाय तो जारी रखने वाले अधिनियम में अन्यथा विशेषतः की गयी व्यवस्था के सिवाय : ––

(क) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को बिना किन्हीं परिष्कारों के चालू रखना आशयित हो तो जारी रखने वाले अधिनियम को प्रथम उल्लिखित अधिनियम की समाप्ति के दिनांक से (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है), उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए प्रभावी हुआ माना जायगा और होगा, मानों ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो, और

(ख) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को किन्हीं परिष्कारों के साथ जारी रखना आशयित हो तो जारी रखने वाला अधिनियम प्रथम उल्लिखित अधिनियम को, बिना किन्हीं ऐसे परिष्कारों के उक्त दिनांक से, जारी रखने वाले अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तक उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए जारी रखता हुआ समझा जायगा मानों ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो और उसमें उक्त परिष्कारों के लिये कोई व्यवस्था न हो ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 24 मार्च, 1973 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

Provided that nothing herein contained shall extend, or be construed to extend, to affect any person with any punishment, penalty or forfeiture whatsoever by reason of anything done or omitted to be done, by any such person contrary to the provisions of the Act so continued between the expiration of the same and the date on which the continuing Act is actually first published in the Gazette.

Repeal of U. P. Act XXVIII of 1950

3. The Uttar Pradesh Laws (Expiration) Act, 1950, is hereby repealed.

(3)

प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अन्तर्विष्ट किसी बात का यह विस्तार उस सीमा तक न होगा और न उससे यह समझा जायगा कि जारी रखे गये अधिनियम की समाप्ति तथा उस दिनांक के, जब जारी रखने वाला अधिनियम वस्तुतः गजट में प्रथम बार प्रकाशित किया गया, बीच इस प्रकार जारी रखे गये अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृत या अकृत बात के कारण स्वरूप ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार के दण्ड, शास्ति अथवा समपहरण का प्रभाव पड़े ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1950 का निरसन

3– उत्तर प्रदेशीय विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1950 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।